इलैक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा– शिक्षा अभ्यास के सन्दर्भ मे सूचना ।

महोदय,

1. यह है कि केन्द्रीय स्वास्थय एंव परिवार कल्याण मंत्रालय निर्माण भवन नई दिल्ली भारत सरकार ने दिनॉक 05.05.2010 को अपने आदेश सं0 V-25011/276/2009 HR मे स्पष्ट किया है कि इलैक्ट्रो होम्योपैथी को चिकित्सा शिक्षा विकास पर कोई रोक नही है।
2. यह है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय निर्माण भवन नई दिल्ली भारत सरकार ने आदेश सं0 C-30011/22/2010 HR दिनॉक 21.06.2011 को अपने आदेश मे समस्त राज्य सरकारो केन्द्र शासित सरकारो के स्वास्थ्य सचिवो को दिनॉक 05.05.2010 एंव 25.11.2003 को आदेश दिया है जो समस्त राज्य सरकारो को इलैक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा एंव विकास के संदर्भ मे है जो देश के समस्त राज्य सरकारो को पालन करना अनिवार्य है इसलिए इलैक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा एंव विकास करने का राज्य मे पूर्ण अधिकार है। यह है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय निर्माण भवन नई दिल्ली दिनॉक 14.02.2011 को पत्र सं0 47/RTI/2011H एंव दिनॉक 23.06.2011 पत्र सं0 201/RTI/2011H मे स्पष्ट किया है कि इलैक्ट्रो होम्योपैथी क्लीनिकल एसटेषबिलिशमेन्ट बिल 2010 (रजिस्ट्रेशन रेगूलेशन) के अधीन नही आती है इस लिए इलैक्ट्रो होम्योपैथी क्लीनिकल एसटेषबिलिशमेन्ट बिल 2010 लागू नहीं होता है और इलैक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा–शिक्षा पर कोई रोक नही है । क्लीनिकल एसटेषबिलिशमेन्ट बिल 2010 केवल मान्यता प्राप्त चिकित्सा सिस्टम ऑफ मैडिसिन पर लागू होता है
3. **उ0प्र0 सरकार के प्रमुख सचिव चिकित्सा अनुभाग–6 द्वारा दिनांक 15.12.2011 स0 1889–पाचं–6–11–23 रिट/11 मे माननीय उच्च न्यायलय इलाहाबाद द्वारा दिये गए आदेश मे स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय रिसर्च विभाग भारत सरकार द्वारा आदेश दिनांक 05.05.2010 के विस्तृत आदेश पारित किया है जिससे यह उदघृत करना उपयुक्त प्रतीत होता है (जिसका पूर्ण विवरण देते हुए) और मा0 उच्च न्यायालय इलाहबाद ने भारत सरकार के आदेश दिनांक 05.05.2010 के संदर्भ मे निस्तारित करने के आदेश दिये है और इसी भारत सरकार के आदेश दिनांक 05.05.2010 को आधार मानते हुए इलैक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा– शिक्षा विकास एंव अनुसेधान पर कोई रोक नही है ।जब तक कि यह भारत सरकार के आदेश दिनांक 25.11.2003 के प्रविधान से किया जाता है। अतः अब उ0प्र0 मे भारत सरकार के आदेश दिनांक 05.05.2010 एंव दिनांक 25.11.2003 के अनुसार इलैक्ट्रो होम्योपैथी कि चिकित्सा करने तथा इसके प्रचार हेतु शिक्षा प्रदान कर प्रमाण पत्र** जारी **करने की अनुमति है और इस आदेश की आवश्यक कार्यवाही हेतू महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थय संवाये एंव स्वास्थय परिवार कल्याण विभाग निदेशक चिकित्सा स्वास्थय सेवाये उ0प शासन लखनऊ** प्रिंसिपल **सचिव चिकितसा शिक्षा एंव सम्सत अपर निदेशक** दुवारा दिशा निर्देश जारी किये गए।

इलैक्ट्रोहोम्योपैथी एंव एल्टरनेटिव मेडिसन बोर्ड द्वारा 2011 से 2025 तक **समय समय पर इलैक्ट्रोहोम्योपैथी** की जानकारी **प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाये उ0प्र0, प्रमुख सचिव आयुष।** सुवास्थ्य मंत्री जी **उ0प्र0** सरकार**,**मुख्य मंत्री जी **उ0प्र0** सरकार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी **उ0प्र0,** अपर निदेशक सुवास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकतर उ0प्र0 के मंडलो को

तथा सचिव केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, आई0सी0एम0आर0 आदि को पत्र व्यवहार किया है और वर्तमान मे इलैक्ट्रोहोम्योपैथी एंव एल्टरनेटिव मेडिसन बोर्ड इलैक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए भारत सरकार दवारा गठित इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी मे इलैक्ट्रोहोम्योपैथी की तरफ से जाइंट प्रपोसलिस्ट है और मान्यता के लिए भारत सरकार को प्रोपोजल जमा किया गया है ।

4. **माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद की खंडपीठ ने दिनाक 16-05-2024 को अपने आदेश मे कहा की इलैक्ट्रोहोम्योपैथी की संस्थाये सर्टिफिकेट दे सकती** है **और इलैक्ट्रोहोम्योपैथी की चिकित्सा एवं शिक्षा पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं** है

5. आपको अवगत कराना है कि उ0प्र0 मे इलैक्ट्रोहोम्योपैथी की चिकित्सा एंव शिक्षा विधिवत रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद के आदेश , भारत सरकार उ0प्र0 सरकार के आदेशानुसार प्रदान की जा रही है । उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप सं0 1889/पांच–6–11–23 रिट/11 दिनॉक 25/12/2011 एंव सं0 2914/पांच–6–10–23 रिट /11 दिनॉक 04/01/2012 के अनुसार दी जा रही है तथा हमारी संस्था को उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग–6 पत्र सं0 682/पांच–6–13–30 सू/13 दिनॉक 07/05/2013 का भी पूर्व मे जारी कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 25/12/2011 एंव 04/01/2012 का ही निस्तारण किया है और दिनॉक 2/09/2013 को महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाये लखनऊ उ0प्र0 के समस्त अवर निदेशको को अपने' मन्डल के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 04/01/2012 का पालन करने का आदेश जारी किया है ।

6. अतः उ0प्र0 मे महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाये उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 11फ/इलैक्ट्रो/2016 1786 दिनॉक 14/03/2016 को इलैक्ट्रोहोम्योपैथी के सम्बन्ध मे आदेश जारी किया है ।

अतः भारत सरकार के पत्र दिनॉक 30.05. 2017 को दी गयी जानकारी के अनुसार **इलैक्ट्रोहोम्योपैथी एंव एल्टरनेटिव मेडिसन बोर्ड** द्वारा इलेक्ट्रो होमियोपथी की चिकित्सा और शिक्षा और मान्यता के लिए दिये गए दस्तावेज प्राप्त हो गए है । **कापी संलग्न**

7. हमारे **द्वारा भेजी गयी जानकारी दिनांक 05.06.2012 के जवाब मे भारत सरकार ने दिनांक 29.06.2012 को पत्र स0 वी0–25011/130/2012 एच0आर के माध्यम से इलैक्ट्रोहोम्योपैथी को सरकार के आदेशनुसार गर्वन का पत्र जारी किया गया।**

8. **-बोर्ड द्वारा भारत सरकार को भेजी गये दस्तावेजो दिनांक 19.06.2014 पर दिनांक 15.07.2014 को भारत सरकार ने बिल विचारधीन के साथ प्रत्यावेदन से सम्बंधित पूर्ण जारी दिनांक 29.06.2012 जो सरकार द्वारा इलैक्ट्रोहोम्योपैथी को गर्वन करने के संबंध मे पत्र है तथा दिनांक 02.11.2012 जो इलैक्ट्रोहोम्योपैथी को इम्पलिमेन्ट करने के सम्बंध मे पत्र उसी को एक बार फिर बोर्ड के नाम जारी किया गया है।**

9. **-मा0 सुप्रिम कोर्ट मे इलैक्ट्रोहोम्योपैथी की विभिन्न याचिकाओ जिसमे उ0प्र0 से भी कई याचिका शामिल थी और अन्य राज्यो से एस0एल0पी0 दायर थी जिसका निर्णय दिनॉक 22/01/2015 को मा0 सुप्रिम कोर्ट मे स्पष्ट कर दिया कि इलैक्ट्रोहोम्योपैथी की चिकित्सा पर कोई रोक नही है व इस सम्बन्ध मे दिनॉक 05/05/2010 को आदेश भी जारी कर दिया गया है ।यह आदेश भारत सरकार के आदेश दिनॉक 05/05/2010 के पक्ष मे दिया है**

10. **-माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद की खंडपीठ ने दिनाक 16-05-2024 को अपने आदेश मे कहा की इलैक्ट्रोहोम्योपैथी की संस्थाये सर्टिफिकेट दे सकती है और इलैक्ट्रोहोम्योपैथी की चिकित्सा एवं शिक्षा पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है**

अतः आपसे पुनः **अनुरोध है कि उपरोक्त सभी** माननीय सुप्रीम कोर्ट ,इलाहाबाद हाई कोर्ट, भारत सरकार के आदेशो **उ0प्र0 सरकार के** आदेशो **दिनॉक 25/12/2011, दिनॉक 04/01/2012, दिनॉक 07/05/2013 तथा महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थय सेवाये लखनऊ उ0प्र0 दिनॉक 14/03/2016 एंव महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थय सेवाये लखनऊ के पत्र दिनॉक 02/09/2013 एंव आदि पत्रो के आधार पर ही इलैक्ट्रोहोम्योपैथी** शिक्षा ,चिकित्सा अभ्यास करने की अनुमति **है** । अतः सभी **इलैक्ट्रोहोम्योपैथी** चिकित्सक सिर्फ **इलैक्ट्रोहोम्योपैथी की** औषधियो से ही चिकित्सा अभ्यास करे जिस से शासकीय

विभाग के अधिकारियों को कोई आपत्ति न हो और **इलैक्ट्रोहोम्योपैथी** चिकित्सकों को भी कोई चिकित्सा अभ्यास करने मे कोई परेशानी न हो

धन्यवाद

भवदीय